06/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 06/2016 अनवानी अजितेन्द्रपाल सिंह पुत्र करतारसिंह जाति कम्बोजसिख नि0 4ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर जरिये मु0आम सुरेन्द्र कौर पत्नि अजितेन्द्रपाल सिंह बनाम 1–राजकुमार पुत्र झांगीराम जाति शर्मा नि0 हाल शक्तिनगर फतेहाबाद जिला फतेहाबाद (हरियाणा) 2–सतीशकुमार पुत्र झांगीराम जरिये मु0आम राजकुमार 3–कमलारानी 4–मनोजकुमार 5–संजीवकुमार 6–रेणु 7–पलविन्द्र वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम पूनिया उपस्थित है। अप्रार्थी राजकुमार के अभिभाषक श्री प्रदीप सिंहाग उपस्थित है एवं अप्रार्थी राजकुमार स्वयं उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण एवं अप्रार्थी राजकुमार को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी राजकुमार एवं उनके अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 150/2012 अनवानी राजकुमार आदि बनाम कमलारानी आदि धारा 88, 92ए,183,188 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 150/2012 अनवानी राजकुमार आदि बनाम कमलारानी आदि धारा 88, 92ए,183,188 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

430
21/02/2017

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर